# न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास -- मनोज कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 31/2018

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर | | 1रामचन्द्र राव पुत्र गोरधनराम जाति जाट निवासी मुकाम पोस्ट गुढा भगवानदास (खुर्द) तहसील खींवसर जिला नागौर। फर्म–मैसर्स श्रीकृष्ण किराणा एण्ड जनरल स्टोर, मुकाम पोस्ट गुढा भगवानदास (खुर्द) तहसील खींवसर जिला नागौर। 2पूरबाराम पुत्र रेवन्तराम निवासी खडकाली तहसील खींवसर जिला नागौर। फर्म–मैसर्स रामस्नेही गृह उद्योग गांव खडकाली तहसील खींवसर जिला नागौर। 3फर्म–मैसर्स रामस्नेही गृह उद्योग गांव खडकाली तहसील खींवसर जिला नागौर। |

## आदेश

दिनांक :04.03.2021

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 25-10-2018 को मैसर्स श्रीकृष्णा किराणा एण्ड जनरल स्टोर, गुढा भगवानदास तहसील खींवसर जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (रामस्नेही ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1038 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/771/एक्ट/2018/789 दिनांक 14.11.2018 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना धनिया पाउडर (रामस्नेही ब्राण्ड) मिस ब्राण्डेड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त रामचन्द्र राव पुत्र गोरधनराम जाति जाट निवासी मुकाम पोस्ट गुढाभगवानदास (खुर्द) तहसील खींवसर जिला नागौर, पूरबाराम पुत्र रेवन्तराम निवासी खडकाली तहसील खीवसर तथा फर्म मैसर्स रामस्नेही गृह उद्योग गांव खडकाली तहसील खींवसर जिला नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 29-03-2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से बाबूलाल खोजा तथा 2 व 3 की ओर से श्री धन्नाराम चौधरी अधिवक्ता ने दिनांक 09.01.20 को वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं. 1, 2 तथा 3 ने अपना जवाब दिनांक 04.03.2021 को पेश किया। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब मे बताया कि अप्रार्थी के खिलाफ जो आरोप लगाया गया है। वो आरोप अप्रार्थी को लोक अदालत की भावना से व स्वेच्छा से स्वीकार है तथा आरोप की भविष्य मे पुनरावृति नही करूंगा। कम से जुर्माना करने का निवेदन किया है तथा अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने अपने जवाब मे बताया कि अप्रार्थी के खिलाफ जो आरोप लगाया गया है। वो आरोप अप्रार्थी को लोक अदालत की भावना से व स्वेच्छा से स्वीकार है तथा आरोप की भविष्य मे पुनरावृति नही करूंगा। कम से कम जुर्माना करने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/771/एक्ट/2018/789 दिनांक 14.11.2018 के अनुसार खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (रामस्नेही ब्राण्ड) का नमूना मिस ब्राण्डेड पाया गया है। अप्रार्थीगण ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। अतः अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 1 रामचन्द्र राव पुत्र गोरधनराम जाति जाट निवासी मुकाम पोस्ट गुढाभगवानदास (खुर्द) तहसील खींवसर जिला नागौर, पर रूपये 3,000 अक्षरे रूपये तीन हजार, अप्रार्थी सं. 2 पूरबाराम पुत्र रेवन्तराम निवासी खडकाली तहसील खीवसर तथा अप्रार्थी सं. 3 फर्म मैसर्स रामस्नेही गृह उद्योग गांव खडकाली तहसील खींवसर जिला नागौर पर संयुक्त रूप से रूपये 5,000/– अक्षरे रूपये पांच हजार कुल रूपये 8,000/– अक्षरे आठ हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर